

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों
के बच्चों के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय छात्रवृति। <u>मद- आयोजना</u>
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> • सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु। • अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को
3	प्रारंभ होने का वर्ष	25.02.94 से लागू (संशोधन 01.04.2003)
4	लाभान्वित वर्ग	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को जो विधालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे हों।
5	पात्रता	कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> • डेस्कॉलर कक्षा 1 से 8 हेतु 110/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम् 750/- एकमुश्त। • हॉस्टलर कक्षा 3 से 8 हेतु 700/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम् 1000/-रु एकमुश्त।
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाण पत्र • शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/उपनिदेशक (प्राशि)/निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेणडीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)